

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।
पत्रांक 2469/5-3 बदायूँ दिनांक 27 फरवरी, 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बदायूँ।

- विषय :- बदायूँ में पीलीभीत-बरेली-भरतपुर मार्ग एस0एच0-33 के चैनेज किमी0 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी0 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेबल शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु 13.29 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।
- सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0 /06/57/2017/एफ0सी0/833 दिनांक 20.02.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें। भारत सरकार के सन्दर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के पत्र में बिन्दु संख्या 1 व 2 (क) विवरण निम्न प्रकार है :-

बिन्दु संख्या-1 विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगने अवनत वन भूमि (13.29 X 2=26.58 हे0) अर्थात् 26.58 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु0 6534345.00 रुपये मात्र

बिन्दु संख्या-2 (क) आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित (13.29X8.03) रू0 106.72 लाख रुपये मात्र।

कृपया उपरोक्त धनराशियों का मदवार भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में कैम्पा नई दिल्ली में ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर इसकी पुष्टि हेतु ई-चालान की प्रति एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस कार्यालय के द्वारा उच्च स्तर के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही एवं अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय

(रत्नेश श्रीवास्तव)

वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

पत्रांक /32-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित --

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी बरेली वृत्त बरेली।

(रत्नेश श्रीवास्तव)

वन संरक्षक/प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।